पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

दिनांक: 16 अगस्त 2021

1) <u>परिचय</u>

पीएफसी भारत में एक प्रमुख सरकारी स्वामित्वाधीन एनबीएफसी है जो विशेष रूप से भारतीय विद्युत क्षेत्र हेतु समर्पित है। पीएफसी 35 वर्ष से अधिक समय से विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी विद्युत क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न नीतिगत उद्देश्यों को आगे ले जाने में एक कार्यनीतिक भागीदार रहा है।

पर्यावरणीय विचारों को ध्यान में रखते हुए, पेरिस समझौते के अंतर्गत वर्ष 2021-2030 की अवधि के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता के लिए तथा वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) की है।

इस दिशा में, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएं/प्रोत्साहन तैयार किए हैं, जो वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट तक विस्तारित है। इसके अतिरिक्त, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा के लिए, राज्य विनियामकों ने सौर और गैर-सौर दोनों श्रेणी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) निर्धारित किए हैं, जिनमें हर वर्ष वृद्धि होगी।

कुछ वर्ष की अवधि में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने देश की कुल विद्युत उत्पादन में संस्थापित क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत ने दिनांक 31.03.2021 तक 94.3 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, जो कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 22% है। संसाधन-वार अंशदान है: पवन ऊर्जा का 39.44 गीगावाट; सौर ऊर्जा का 41.09 गीगावाट; लघु जलविद्युत का 4.79 गीगावाट; बायोमास एवं को-जेन का 10.34 गीगावाट और अपशिष्ट से ऊर्जा का 114 मेगावाट।

साथ ही, भारत विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। नवीकरणीय क्षेत्र में, बड़े निवेशक परिचालन परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कर रहे हैं जो अपेक्षाकृत तनाव मुक्त हैं और कर दक्ष रूप से निवेशकों को अधिशेष नकदी प्रवाह को प्रत्यावर्तित करने में सक्षम हैं। न्यून निर्माण अवधि को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन ऊर्जा परियोजनाओं में परिचालन के प्रथम वर्ष के भीतर राजस्व उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ईंधन पर कोई निर्भरता नहीं है और सरकार द्वारा नवीकरणीय क्षेत्र के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

तद्नुसार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएफसी ऋण पोर्टफोलियो में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी पिछले 5 वर्ष में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। 5 वर्ष की अवधि में, नवीकरणीय ऊर्जा ऋण बही (बड़े हाइड्रो अर्थात> 25 मेगावाट को छोड़कर) 35% के सीएजीआर से बढ़ी है।

2) ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क अवलोकन

स्थायी वित्त-पोषण पहल के एक भाग के रूप में, पीएफसी ने बॉण्ड, ऋण और किसी भी अन्य वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट ("ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट") सहित भविष्य के सभी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंटों के लिए इस ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क ("फ्रेमवर्क") की स्थापना की है, जिसका उपयोग पात्र ग्रीन परियोजनाओं का वित्त-पोषण और/या पुनर्वित्त-पोषण करने के लिए किया जाता है। पीएफसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क इसकी वेबसाइट (http://www.pfcindia.com) पर प्रकाशित किया जाएगा।

इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य भविष्य के सभी ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंटों के लिए एकल कार्य-प्रणाली रखना है, यह सुनिश्चित करना कि जारी किए गए प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के लिए इस फ्रेमवर्क के सिद्धांत लागू होते हैं और आय को नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता में इस तरह से निवेश किया जाता है जो पीएफसी के स्थायी मूल्य के लिए संगत है।

फ्रेमवर्क को क्लाइमेट बॉण्ड स्टैंडर्ड वर्जन 3.0[1], इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एसोसिएशन (आईसीएमए)[2] द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड प्रिंसिपल्स (जीबीपी), 2021 और ग्रीन लोन प्रिंसिपल्स (जीएलपी) [वर्ष 2021 में लोन मार्केट्स एसोसिएशन ("एलएमए"), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन ("एपीएलएमए") और लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन ("एलएसटीए") द्वारा प्रकाशित] के साथ संरेखित किया गया है। ये स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों का एक समूह है जो स्थायी वित्त बाजार के विकास में पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण और अखंडता को बढ़ावा देने की सिफारिश करता है।

उपर्युक्त सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क को जीबीपी/जीएलपी के चार मुख्य घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:
(क) आय का उपयोग
(ख) परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया
(ग) आय का प्रबंधन
(घ) रिपोर्टिंग

इसके अतिरिक्त, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी सभी ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंटों की समीक्षा बाहरी स्वतंत्र तृतीय पक्षकार द्वारा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बाजार में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए, पीएफसी द्वारा समय-समय पर ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी, जिसमें इसे विभिन्न दिशा-निर्देशों के अद्यतित संस्करणों के समान करना शामिल है।

3) आय का उपयोग:

- **पात्र ग्रीन परियोजनाएं**

  पीएफसी द्वारा ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट जारी करने से प्राप्त आय को नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं ("पात्र ग्रीन परियोजना") हेतु पुनर्वित्त-पोषण/ऑन-लेंडिंग के लिए लागू किया जाएगा।

ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़कर और ग्रिड से सीओ2 उत्सर्जन को ऑफसेट करके जलवायु परिवर्तन शमन के भारत के उद्देश्य के साथ, जो ग्रिड की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में मदद करेगा, पात्र ग्रीन परियोजनाएं व्यापक रूप से निम्नलिखित को कवर करेंगी, जो क्लाइमेट बॉण्ड मानक के अंतर्गत क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी मानदंड की उपलब्धता के अधीन हैं:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा

- ✓ तटवर्ती सौर बिजली उत्पादन सुविधाएं (सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली के ≥85% के साथ), समर्पित पारेषण और अन्य सहायक अवसंरचना
- ✓ तटवर्ती पवन ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं (पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का न्यूनतम 85%), समर्पित पारेषण और अन्य सहायक अवसंरचना

4) <u>पात्र ग्रीन परियोजनाओं का चयन और मूल्यांकन</u>

पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्त-पोषण/पुनर्वित्त-पोषण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

क) निजी क्षेत्र के लिए परियोजना वित्त-पोषण प्रस्ताव ऋणकर्ताओं से प्राप्त होते हैं और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार द्विचरणीय प्रक्रिया का पालन निम्नानुसार किया जाता है:

- ➢ पीएफसी की परियोजना और एंटिटी टीम:
  - पीएफसी नीतियों के अनुसार परियोजना पात्रता और प्रमोटर की क्षमता का मूल्यांकन एवं निर्धारण करती है तथा
  - विस्तृत आकलन के लिए परियोजना को शॉर्टलिस्ट करती है

- ➢ पीएफसी की टास्क फोर्स जिसमें आकलन अधिकारी और कार्यपालकों की अन्य अंतर-कार्यात्मक टीम शामिल है, निम्नलिखित पर विचार करती है:
  - परियोजना आकलन और एंटिटी (प्रोमोटर) आकलन पर केंद्रित कई निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर परियोजना और एंटिटी (प्रोमोटर) की समग्र व्यवहार्यता।
  - ऋण की निबंधन एवं शर्तें
  - परियोजना के लिए निर्धारित आंतरिक/बाहरी रेटिंग

  तथा अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु सिफारिश करती है।

- ➢ अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी प्रस्ताव को संस्वीकृत/अस्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पीएफसी विद्युत संस्था रेटिंग और परियोजना व्यवहार्यता के आधार पर विभिन्न राज्य क्षेत्र की आरई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

ख) उपर्युक्त के अनुसार पीएफसी द्वारा संस्वीकृत और इस फ्रेमवर्क में उल्लिखित "पात्र ग्रीन परियोजना" मानदंडों के अनुसार यथा शॉर्टलिस्ट सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को निदेशक (वित्त) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ऐसी पात्र ग्रीन परियोजनाओं के अंतर्गत उनका संवितरण ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट के निमित्त आवंटित किया जाएगा।

ग) ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट जारी करने से पूर्व, यथा अपेक्षित नामांकित पात्र ग्रीन परियोजनाओं की सूची तैयार की जाएगी। जारी करने से पूर्व और बाद में, स्वतंत्र तृतीय पक्षकार सत्यापनकर्ता यह आश्वासन प्रदान करेगा कि नामांकित परियोजनाएं ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।

घ) बाद में ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट जारी करने या परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में बदलाव के संबंध में, पीएफसी द्वारा समान मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया की जाएगी।

5) आय का प्रबंधन

ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट के इश्यू से निवल आय को मौजूदा पात्र ग्रीन परियोजनाओं के पुनर्वित्त-पोषण सहित पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए आवंटित किया जाएगा, जिसे 'ग्रीन परियोजना पोर्टफोलियो' कहा जाएगा।

पीएफसी की मंशा पात्र ग्रीन परियोजनाओं के लिए आवंटन के स्तर को बनाए रखना है, जो सभी बकाया ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंटों की कुल निवल आय से मेल खाता है या उससे अधिक है। पीएफसी अपने सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किसी भी ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट की निवल आय के इश्यूएंस के तुरंत बाद/24 माह के भीतर पूरी तरह से आवंटित करने का प्रयास करेगा। पूर्ण आवंटन से पूर्व, शेष आय, नकदी, नकदी समकक्ष, और/या अन्य लिक्विड विपणन-योग्य इंस्ट्रूमेंटों में यथोचित हमारे सामान्य लिक्विडिटी/निवेश दिशा-निर्देशों के अनुरूप धारित की जाएगी, जिसमें ग्रीनहाउस गैस गहन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जो न्यून कार्बन उत्सर्जन एवं जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था के साथ असंगत हैं।

कम समय में किसी भी संभावित कमी का पता लगाने के लिए हमारे ग्रीन परियोजना पोर्टफोलियो की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

पीएफसी के पास एक सुव्यवस्थित आंतरिक प्रणाली है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड पावर फाइनेंसिंग सिस्टम/ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम (आईपीएफएस/ईआरपी) है, जिसका उपयोग ग्रीन परियोजना पोर्टफोलियो में बदलावों की निगरानी के लिए किया जाएगा, जिसे पुनर्भुगतान किए गए ऋणों और वित्त-पोषित नए ऋणों को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

नोट: किसी भी ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट की निवल आय से वित्त-पोषित पात्र ग्रीन परियोजना ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क में पूर्व-परिवर्तन से प्रभावित नहीं होंगी और जब तक वे ग्रीन बॉण्ड जारी करने के समय पर विद्यमान पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और बकाया ग्रीन बॉण्ड को आंतरिक/वस्तुतः रूप में आवंटित रहते हैं, तब तक वे ग्रीन पोर्टफोलियो में ही रहेंगे।

6) रिपोर्टिंग

जब तक किसी भी पीएफसी का ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट बकाया रहता है, तब तक पीएफसी वार्षिक रिपोर्ट में अलग सेक्शन के माध्यम से ऐसे बकाया नवीकरणीय पोर्टफोलियो की कुल क्षमता (मेगावाट) के साथ कुल बकाया नवीकरणीय पोर्टफोलियो पर आय के उपयोग की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर करेगा। रिपोर्ट पीएफसी की वेबसाइट (http://www.pfcindia.com) पर भी प्रकाशित की जाएगी।

7) <u>आश्वासन</u>

फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी पीएफसी के सभी ग्रीन वित्त-पोषण इंस्ट्रूमेंट हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्षकार समीक्षक द्वारा आश्वासन दिया जाएगा और यथा अपेक्षानुसार क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव जैसे लागू प्रमाणित निकाय द्वारा जारी करने से पूर्व और बाद में प्रमाणित किया जाएगा।

<u>नोट:</u> पीएफसी द्वारा प्रस्तावित पीएफसी ग्रीन बॉण्ड इश्यू केपीएमजी द्वारा आश्वासित किया जाएगा और क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव की अपेक्षा के अनुरूप, इश्यू के बाद पीएफसी को क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव से प्रमाणन भी मिलेगा। इश्यू-पश्चात प्रमाणन ऐसे बॉण्ड के जारी होने की तारीख से क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव (वर्तमान में 24 माह) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

***